२०९

संख्याः 702 / उन्तीस(2)/2012–2(20पे0)/201

प्रेषक,

जी0 बी0 ओली,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांकः 04 अक्टूबर, 20**

विषयः तपोवन सीवरेज योजना की एस0टी0पी0 हेतु वन भूमि प्राप्त क हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय लखनऊ के भूमि के स्वीकृति आदेश संख्या 8बी0यू0सी0पी0/09/03/2012/एफ0 सी0/ दिनांक 30.03.2012 के क्रम में आपके पत्र संख्याः 524/अनुश्रवण अनुभाग– भूमि/18 दिनांक 13–06–2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है तपोवन सीवरेज योजना की एस0टी0पी0 हेतु वन भूमि प्राप्त करने हेतु उपलब्ध क गये आगणन ₹ 10.13 लाख (₹ दस लाख तेरह हजार मात्र)की धनराशि उत्तरा अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 में व्यय हेतु आ निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(I) उक्त धनराशि प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरा कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जाये आहरण से सम्बन्धित बिल वाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शा एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

(II) उक्त धनराशि से एन0 जी0 आर0 बी0 ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत तप सीवरेज योजना की एस0 टी0 पी0 हेतु वन भूमि प्राप्त करने के लिए व्यय की जायेगी।

(III) कराये जाने वाले कार्यो पर वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 शासनादेश संख्या 163/XXVII(7)/2007, दिनांक 22.05.08 के अनु सेन्टेज प्रभार अनुमन्य होगा।

(IV) व्यय करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का पा कड़ाई से किया जाय।

(V) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानु सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्रावि स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

(VI) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(VII) आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभिय द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रे स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है, की स्वीकृति नियमानु अधीक्षण अभियन्ता के अनुमोदन कराना आवश्यक होगा तदोपरांत आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

क्रमशः 2

(VIII) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताये तकनीकी दृष्टि को मध्यन रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टि के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(IX) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों भू-गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनरूप कार्य किया जाय।

(X) मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XI 219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य व समय/कार्य करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

2- धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन सं H 1210130048 दिनांक 01.10.2012 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपय हेतु शासनादेश संख्या 193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30.03.2012 के द्वारा नि दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के लेखानुदान सं0-13 अंतर्गत लेखाशीर्षक "2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति तथा आयोजना -102-ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम-08-गंगा नदी में प्रदूषण नियंत्रण तथा संर कार्य-00-20-सहायक अनुदान/अंश दान/राज सहायता के नामे" डाला जायेगा।

4-यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 440/XXVII(2)/20 दिनांकः 12 सितम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(जी0 बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकनसंख्याः-702(1)/उत्तीस(2)/2012-2(20पे0)12 तद दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, पौड़ी।
5. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्तअनुभाग-2/वित्त(बजट सैल)/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
8. जिलाधिकारी, देहरादून।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
10. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
11. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा सैंकली)
उप सचिव।